IMMEDIATE

[redacted]

File No. 15/1/2019-Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
(CS Division)
***

North Block, New Delhi – 01.
Dated the 1st August, 2019

01 AUG 2019

To

The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India.

Subject: Strict compliance of the provisions contained in the 'Flag Code of India, 2002' and 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' – reg.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. A copy each of 'The Prevention of Insults to national Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002' which governs display of National Flag, are enclosed herewith for strict compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code (copy also available on this Ministry's website www.mha.gov.in). You are requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

2. Further, it has been brought to notice of this Ministry that on the occasions of important national, cultural and sports events, the National Flags made of plastic are also being used in place of National Flags made of paper. Since, plastic flags are not biodegradable like paper flags, these do not get decomposed for a long time and ensuring appropriate disposal of National Flags made of plastic commensurate with dignity of the flag, is a practical problem, You are, therefore, requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags made of paper only are used by the public in terms of the provisions of the 'Flag Code of India, 2002' and such paper Flags are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag. Thus, you are also requested to give wide publicity, for not using the National Flag made of plastic in the electronic and print media.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Deepak Kumar 01/08/2019
(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 2309 2421

GENERAL RECEIPT
High Court of Delhi
06 AUG 2019
Receipt No. 4754

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

Deepak Kumar
01/08/2019

(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India

(8)

तत्काल

संख्या 15/1/2019-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1
दिनांक : 1 अगस्त, 2019

सेवा में ,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन - के संबंध में ।

- - -

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। अत: आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा

केवल कागज़ से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। अत: आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक - यथोपरि

दीपक कुमार
01/08/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23092421

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

दीपक कुमार
01/08/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार